[redacted]

प्रश्न सं. [क्र. 746]

LANXESS
Energizing Chemistry

LIPL/NGD/HSE/2025/295 **Date: 19.11.2025**

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन (मध्यप्रदेश)

विषय : विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 746, माननीय विधायक श्री विपिन जैन द्वारा वांछित जानकारी बाबत।

सन्दर्भ : आपके ऑफिस से प्राप्त विधानसभा पत्र क्रमांक 746 दिनांक 18.11.2025

महोदय,

इति संदर्भानुसार प्राप्त पत्र के प्रत्युत्तर में स्थिति बिंदुवार निम्नानुसार हैं ..

क) लैंक्सेस उद्योग द्वारा औद्योगिक विस्तार हेतु 07/03/2020 को जनसुनवाई में अपने उत्पादन में 2944 केएलडी जल का उपयोग बताया था ? यदि हाँ तो 2944 केएलडी जल कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है?

उत्तर : संयंत्र की वर्तमान मांग जो की लगभग औसत 2933 केएलडी [illegible] लगभग औसत [illegible] केएलडी जल स्थानीय क्षेत्रो से संगृहीत, घरेलु अपशिष्ट जल 3500 [illegible] इनहॉउस एस.टी.पी. [illegible] उपचारित कर तथा लगभग औसत 964 केएलडी जल उद्योग में स्थापित [illegible] ट्रीटमेंट प्लांट [illegible] उपचारित व पुनर्नवीनीकरण पानी से पूरा किया जाता है। सनद रहे की [illegible] क्षेत्रो [illegible] उपरोक्त उल्लेखित मात्रा अनुरूप घरेलु अपशिष्ट जल उपलब्ध है जिसका [illegible] किया जा सकता है।

ख) उद्योग को उत्पादन हेतु प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है ? [illegible] पृथक पृथक विवरण दे।

उत्तर : संयंत्र की वर्तमान मांग जो की लगभग औसत 2933 केएलडी है, जिसकी [illegible] 1435 केएलडी जल स्थानीय क्षेत्रो से संगृहीत, घरेलु अपशिष्ट जल 3500 केएलडी क्षमता [illegible] पी. में उपचारित कर तथा लगभग औसत 964 केएलडी जल उद्योग में स्थापित वेस्ट [illegible] द्वारा उपचारित व पुनर्नवीनीकरण पानी से पूरा किया जाता है।

अनुभाग अधिका[illegible]
मध्यप्रदेश [illegible]
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रो[illegible]

[redacted]

LANXESS India Private Limited
Registered Office :
LANXESS House
Plot Nos. A 162-164
Road No. 27, MIDC
Wagle Estate
Thane (W) - 400 604
Maharashtra, India
Tel. +91 22 2587 1000
Fax +91 22 2587 1287
infoindia@lanxess.com
www.lanxess.in
CIN : U24119MH2004PTC158377
Works :
Biriagram, Nagda - 456 331
Madhya Pradesh, India
Tel. + 91 7366 245104, 248735, 245447
Fax+ 91 7366 246283

LANXESS
Energizing Chemistry

ग) क्या लैंक्सेस उद्योग द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बावजूद भी नर्मदा - क्षिप्रा परियोजना अंतर्गत आवंटित 1.85 एमसीएम की मांग को पुनरीक्षित कर 0.365 एमसीएम जल की स्वीकृति दिनांक 26/06/2024 को दी गई थी? यदि हाँ तो उद्योग कब तक अनुबंध कर जल प्राप्त करेगा?

उत्तर : लैंक्सेस उद्योग द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार निम्न उल्लेखित जल मांग के अनुपात में नहीं किया गया है अतः निकट वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में लेकर नर्मदा - क्षिप्रा परियोजना अंतर्गत आवंटित1.85 एमसीएम की मांग को पुनरीक्षित कर 0.365 एमसीएम जल की स्वीकृति चाही गई है, तत्संबंधी मांग की स्वीकृति तथा अनुबंध प्रचलित है।

घ) क्या लैंक्सेस उद्योग द्वारा 500 स्थाई /ठेका श्रमिक /स्टाफकर्मी को छटनी /वीआरएस व अन्य प्रदेश के अपने उद्योगों में स्थानांतरण हेतु दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर इस्तीफे हेतु मजबूर किया जा रहा है ? कितनो को उद्योग से बहार किया गया है ?

उत्तर : यह योजना ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों के बीच है। हालांकि लैंक्सेस की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, फिर भी लैंक्सेस यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित की जाए। यह योजना स्वैच्छिक है और उन श्रमिकों के लिए उपयुक्त है जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। इसके पीछे कोई जबरदस्ती का कारक नहीं है। लैंक्सेस हमेशा से ही जनशक्ति के मुद्दों पर उनके कल्याण और हितों को सर्वोपरि रखते हुए विचारशील रहा है।

ड) क्या उद्योग द्वारा 2000 से कम घरो के घरेलु अपशिष्ट से 1000 किलोलिटर /दिन घरेलु अपशिष्ट जल का 3500 किलोलीटर /दिन क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार पश्चात् औद्योगिक प्रक्रिया में कुल मात्रा का 30 प्रतिशत से कम उपउपयोग किया जा रहा है ? तो उत्पादन हेतु शेष पानी उद्योग को कहाँ से उपलब्ध होता है ?

उत्तर : उद्योग द्वारा अपने जल की पूर्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों से संगृहीत घरेलु अपशिष्ट जल लगभग औसत 1435 किलोलिटर/दिन को इनहॉउस 3500 के.एल.डी. क्षमता के इनहॉउस एस.टी.पी में उपचारित किया जाता है। इसमें प्रमुखतः बिरलाग्राम-गवर्नमेंट लेबर कॉलोनी , दुर्गापुरा रहवासी कॉलोनी , मेहतवास रहवासी कॉलोनी क्षेत्र से घरेलु अपशिष्ट जल जो की लगभग 3000 - 4000 घरों का होकर संयंत्र की वर्तमान मांग का लगभग 60 प्रतिशत होकर उपयोग किया जाता है। उत्पादन हेतु शेष पानी उद्योग को उद्योग में स्थापित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारित व पुनर्नवीनीकरण पानी से पूरा किया जाता है।

भवदीय

वास्ते - लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागदा

...ल गुलाटी

साइट हेड - मैन्युफैक्चरिंग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

INTERNAL

[redacted]